रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1114] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932
No. 1114] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2010

का.आ. 1329(अ).—जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके मध्य प्रदेश राज्य के लिए ऐसे पादपों और वन्यजीव प्रजातियों को अधिसूचित करती है, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जो कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध हैं, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	पादपों के नाम
(1)	(2)
1.	*एलसोफिला बालाक्रिशनानी* (आर. डी. दीक्षित एंड त्रिपाठी) आर. डी. दीक्षित
2.	*फाइकस कुपुलाटा* हैनेस
3.	*जासमीनम ब्रेविपेशोलाटम* डूथी एक्स ब्रांडिस
	वन्यजीवों के नाम
1.	*पनथेरा लियो परसिका* (मेयर)
2.	*प्लेटिनेस्टा गैनजेटिका* (रॉक्सबर्ग, 1801)
3.	*पनथेरा टाइगरिस टाइगरिस*, लिनाइयस, 1758
4.	*जिप्स बेंगालेन्सिस* (जीमेलिन, 1788)
5.	*जिप्स इंडिकस* (स्कोपोली, 1786)
6.	*हेटेरोग्लॉक्स ब्लेविट्टी* (ह्यूम, 1873)
7.	*रिनोपटिलस बाइट्रोक्वाटस* (ब्लिथ, 1848)
8.	*रोडोनेस्सा केरियोफिलासिया* (लाथम, 1790)
9.	*गेविआलिस गैनजेटिकस* (जीमेलिन, 1789)
10.	*फिलॉटस सैंक्टीसिलवाटिकस* दास एण्ड चन्दा, 1997

2. केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध वन्यजीव और पादप प्रजातियों का संग्रह प्रतिबंधित होगा। अर्थात् :—

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(ख) हरबेरियम और वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थाओं का संग्रहालय;

(ग) प्रचार; और

(घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :—

(i) समग्र जानकारी के लिए, अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना;

(ii) स्वस्थाने और स्थान बाह्य संरक्षण और पुनःस्थापन के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और

(iii) जागरूकता कार्यक्रम चलाना और वन विभाग के कार्मिकों, जैवविविधता प्रबंधन समितियों, पारि-पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों तथा जनजातियों को अधिसूचित प्रजातियों के संबंध में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा. सं. 28-12/2008-सी एस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2010

S.O. 1329(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Madhya Pradesh, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Plants
(1)	(2)
1.	*Alsophila balakrishnanii* (R. D. Dixit and Triphati) R. D. Dixit
2.	*Ficus cupulata* Haines
3.	*Jasminum brevipetiolatum* Duthie ex Brandis
	Name of Animals
1.	*Panthera leo persica* (Meyer)
2.	*Platinesta gangetica* (Roxburgh, 1801)
3.	*Panthera tigris tigris*, Linnaeus, 1758
4.	*Gyps bengalensis* (Gmelin, 1788)
5.	*Gyps indicus* (Scopoli, 1786)
6.	*Heteroglaux blewitti* (Hume, 1873)
7.	*Rhinoptilus bitorquatus* (Blyth, 1848)
(1)	(2)
8.	*Rhodonessa caryophyllacea* (Latham, 1790)
9.	*Gavialis gangeticus* (Gmelin, 1789)
10.	*Philautus sanctisilvaticus* Das and Chanda, 1997.

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Madhya Pradesh State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely :—

(a) Scientific research;

(b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;

(c) propagation; and

(d) any other scientific investigation.

3. The Madhya Pradesh State Biodiversity Board shall undertake :—

(i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;

(ii) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and

(iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.